न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः— 31/2013 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2013/00125), पीठासीन अधिकारीः— श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

प्रेमवती पुत्री ग्यासी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम ऊमरा तहसील डीग हाल नि0 ग्राम सांखी तहसील छाता जिला मथुरा उ0 प्र0 ———मृतक

1— विशन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह ———मृतक

1/1— छत्रपाल
1/2— रामहेत
1/3— कुशलपाल
1/4— कुमरपाल
1/5— कन्हैया

पुत्रगण स्व0 विशन सिंह

1/6— भागो पत्नी स्व0 विशन सिंह

2— जंगलिया
3— दीपचन्द

पुत्रगण महेन्द्र सिंह

4— सुरेश
5— पवन

पुत्रगण घनश्याम पुत्र महेन्द्र सिंह

6— मीना पत्नी घनश्याम पुत्र महेन्द्र सिंह

जातियान जादौं ठाकुर नि0 ग्राम ऊमरा तहसील डीग हाल नि0 ग्राम सांखी तहसील छाता जिला मथुरा (उ0 प्र0) —वादीगण

बनाम

1— राधेश्याम
2— बल्लभ

पुत्रगण भगवत

3— नवल
4— केशव

पुत्रगण भगवत

5— सुखना पत्नी भगवत पुत्र किशनलाल उर्फ किशनपाल ———मृतक

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

5/1– अजुध्या पत्नी राधेलाल पुत्री भगवत जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम सांखी तहसील छाता जिला मथुरा उ0 प्र0

5/2– लक्ष्मी पुत्री भगवत पत्नी महताव

5/3– आसन पुत्री भगवत पत्नी महेश

जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम अलवाई तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0

6– भूपन उर्फ भूप सिंह पुत्र गंगाश्याम पुत्र किशनलाल उर्फ किशनपाल ––––मृतक

6/1– गोपाल
6/2– देवीसिंह } पुत्रगण भूपन उर्फ भूप सिंह
6/3– मुकेश

जातियान जादौं ठाकुर नि0 ग्राम ऊमरा तहसील डीग ।

6/4– गुड्डी पुत्री भूपन उर्फ भूप सिंह पत्नी गिरधारी जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम सांखी तहसील छाता जिला मथुरा उ0 प्र0 ।

7– रमेश पुत्र गंगाश्याम पुत्र किशनलाल उर्फ किशनपाल

8– द्रोपती पत्नी ठाकुरलाल पुत्र गंगाश्याम

9– राजकुमारी पुत्री ठाकुरलाल पत्नी ओमप्रकाश

जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम सांखी तहसील छाता जिला मथुरा उ0 प्र0

10– दिलीप पुत्र ठाकुरलाल

11– नरेश पुत्र ठाकुरलाल

12– पिंकी आयु 10 वर्ष पुत्री ठाकुरलाल नावालिग जरिये माता मुस0 द्रोपती पत्नी ठाकुरलाल ––––मृतक

13– रौतानी पत्नी भूप सिंह
14– लुड्डो पत्नी गोरधन सिंह } जातियान जादौं ठाकुर नि0 ग्राम ऊमरा तहसील डीग

15– प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक (अलवर–भरतपुर) शाखा डीग

16– प्रबंधक सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा डीग

17– तहसीलदार साहब, तहसील डीग प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट बावत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांकः— 10.01.2025

वादनी प्रेमवती ने यह दावा इस न्यायालय में उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबरान स्थित ग्राम ऊमरा तहसील डीग के ख0 नं0 649/0.35, 1082/0.17, 1083/0.19, 1084/0.14, 566/0.37, 589/0.30, 667/0.32, 670/1771/0.39, 432/0.42, 560/0.29, 561/0.24, 565/0.32, 567/0.24, 569/0.17, 572/0.17, 587/0.34, 669/0.09, 568/0.24, 570/0.27, 571/0.19, 576/0.02, 650/0.13, 469/0.24, 470/0.19, 475/0.22, 481/0.17, 575/0.11, 668/0.28, 1253/0.83 एवं आराजी स्थित ग्राम नगला फौजदार तहसील डीग के ख0 नं0 295/0.25, 296/0.46 को हाल बंदोबस्त में गत आराजी ख0 नं0 877/43–3, 364 मिन/3–18, 876/2–3, 963मिन/2–15, 782/2–17, 878/1–17, 875/1–7, 874/1–9, 884 मिन, 813/2–1, 798/0–11, 799/1–4, 812/1–9, 311/1–9, 310/3–0 बीघा वाके ग्राम ऊमरा तहसील डीग के बदले में बनाये गये हैं। वादपत्र की मद संख्या 2 में वादनी ने सजरा खानदान प्रदर्शित किया है जिसमें रामपाल उर्फ रामलाल पुत्र भुण्डा के दो पुत्र किशनलाल उर्फ किशनपाल व ग्यासी दर्शाये हैं जिनमें प्रतिवादीगण को किशनलाल उर्फ किशनपाल के वारिसान प्रदर्शित किया है तथा स्वयं को ग्यासी की पुत्री होना दर्ज किया है। वादनी का अपने वादपत्र में आगे यह कथन है कि वादपत्र में दर्ज आराजी पूर्व में वादनी के बाबा रामपाल उर्फ रामलाल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर उक्त रामपाल उर्फ रामलाल वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज था अरसा करीब 70 साल पूर्व उक्त रामपाल उर्फ रामलाल की मृत्यु होने पर उसके दो पुत्र किशनलाल उर्फ किशनपाल बाबा व परबाबा प्रतिवादीगण तथा ग्यासी पिता वादनी वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार काबिज हो गये तथा अपने जीवनकाल में हिस्सा 1/2, 1/2 पर काश्त करते रहे। 40 वर्ष पूर्व किशनलाल उर्फ किशनपाल की मृत्यु होने पर उसके हिस्सा 1/2 पर वाहिस्सा बराबर उसके दो पुत्र भगवत पिता प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 तथा गंगाश्याम पिता व बाबा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 12 काबिज हुये। अरसा करीब 30 वर्ष पूर्व वादनी के पिता ग्यासी की मृत्यु होने पर उसके हिस्सा 1/2 पर वाहिद रूपसे वादनी वाहैसियत खातेदार काबिज चली आ रही है। लगभग 10–11 साल पूर्व गंगाश्याम की मृत्यु होने पर उसके वारिसान उसके हिस्सा 1/4 पर वाहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 तथा ठाकुरलाल पिता व पति प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 12 काबिज हुये जिनमें से ठाकुरलाल की मृत्यु हो चुकी है उसके स्थान पर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 12 काबिज हुये तथा एक वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता व पति भगवत की मृत्यु होने पर उसके हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 काबिज हैं। प्रतिवादीगण का पूर्वज किशनलाल उर्फ किशनपाल बहुत ही चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति था उसने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से नाजायज मिलकर सालिम विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि सालिम आराजी से किशनलाल उर्फ किशनपाल का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं था। विवादित आराजी के हिस्सा 1/2 पर किशनलाल उर्फ किशनपाल तथा शेष हिस्सा 1/2 पर वादनी का पिता ग्यासी के नाम इन्द्राज दर्ज होना चाहिए था लेकिन गलत तरीके पर सालिम आराजी का इन्द्राज केवल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जा रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

1लगायत 12 के नाम विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था तथा शेष हिस्सा 1/2 का इन्द्राज वादनी के नाम दर्ज होना चाहिए था। वादनी हिस्सा 1/2 पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण भी 1/2 हिस्से पर काबिज हैं इस प्रकार प्रतिवादीगण के नाम सालिम विवादित आराजी के जो इन्द्राज दर्ज किये जा रहे हैं उन्हें कलमजन कराकर वादनी विवादित आराजी के हिस्सा 1/2 पर अपने आपको खातेदार घोषित करापाने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने नाम दर्ज इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुये दिनांक 31.07.2006 को विवादित आराजी में से वादपत्र की मद संख्या 7 में दर्ज आराजी के हिस्सा 1/6 को प्रतिवादी संख्या 14 मुस0 लुड्डो को बेचान कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 7 को उक्त विवादित आराजी का हिस्सा 1/6 विक्रय करने का अधिकार नहीं था ना ही उसका कोई कब्जा था और ना ही वयनामा दिनांक 31.07.2006 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 14 को कोई कब्जा प्राप्त हुआ। उक्त वयनामा दिनांक 31.07.2006 बिल मुकाबले वादनी हिस्सा 1/12 की हद तक वातिल व बेअसर करार दिया जाकर शून्य घोषित करापाने की अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करापाने की अधिकारी है आदि। उक्त वाद वादनी दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 8,10,11 व 12 ने उपस्थित होकर दिनांक 12.08.2013 व 18.06.2013 को जरिये अभिभाषक अपना इकवाल दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5, 7 व 13, 14 के बावजूद सम्मन तामील होने पर उपस्थित ना आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1, 8, 9, 10, 11, 12 जिन्होंने अपना इकवाल दावा प्रस्तुत किया था, ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उनका इकवाल दावा गलत तरीके से पेश कराया है वे अपना जबाव दावा पेश करना चाहते हैं जिसपर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 8 लगायत 12 को जबाव दावा पेश करने का अवसर दिया गया जिस पर उक्त प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने अपना जबाव दावा इस आशय का पेश किया कि वादनी का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है और वादनी ग्यासी की पुत्री ना होकर जंगलिया की पुत्री है, वादनी ने सजरा गलत पेश किया है। विवादित आराजी शुरू से ही प्रतिवादीगण के पूर्वज किशनपाल उर्फ किशनलाल की खुदकाश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसपर वह शुरू से ही काबिज था तथा राजस्थान काश्तकारी कानून के आधार पर उसे खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। वादनी का कोई कब्जा आराजी पर नहीं है और वादनी को इस आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी संख्या 6 ने अपना जबाव पृथक से प्रस्तुत किया जिसमें उसने विवादित आराजी को ग्यासी ने उसे अपने लिए देना दर्ज किया तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने समस्त आराजी पर अपना कब्जा होना बताया एवं वादनी को हिस्सा 1/3 की आराजी पर दावा पेश करना चाहिए। वादनी ने यह दावा अन्य प्रतिवादीगण से दुरभि संधि कर पेश किया है इसलिए दावा वादनी खारिज फरमाया जावे आदि। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा एवं जबाव दावा के आधार पर दिनांक 18.03.2014 को निम्नांनुसार तनकी कायम की गईं :—

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

1. आया वादिया विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है?
2. आया विवादित आराजी में से दिनांक 31.07.2006 को निष्पादित वयनामा बिल मुकाबले वादनी विवादित आराजी के हिस्सा 1/12 की हद तक शून्य व प्रभावहीन है?
3. आया वादनी विवादित आराजी बावत प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करापाने की अधिकारी है?
4. आया वादपत्र वादनी द्वारा मियाद बाहर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है?
5. दादरसी?

वादनी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2071 से 2074 प्रदर्श 1 ग्राम नगला फौजदार, सत्य प्रतिलिपी निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग दिनांक 30.01.2024 प्रदर्श 2, सत्य प्रतिलिपी नामान्तकरण संख्या 166 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श 4 लगायत 8, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 9, नकल गत जमाबंदी संवत 2015 से 2018 प्रदर्श 10, नकल गत जमाबंदी संवत 1982 प्रदर्श 11 व प्रदर्श 12, सत्य प्रतिलिपी वयनामा दिनांक 31.07.2006 प्रदर्श 13 पेश किये व मौखिक साक्ष्य में वादनी की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान में से वादी विशन ने अपने स्वयं के बयान कराये। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 प्रदर्श ए–1, नकल गत जमाबंदी संवत 2011 से 2014 प्रदर्श ए–2 व ए–3 व ए–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–5, सत्य प्रतिलिपी अपील मीमो संभागीय आयुक्त भरतपुर प्रदर्श ए–6, आदेशिका दिनांक 16.12.2016 प्रदर्श ए–7, नकल नामान्तकरण संख्या 298 प्रदर्श ए–8, नकल नामान्तकरण संख्या 300 प्रदर्श ए–9, असल विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2014 प्रदर्श ए–10, असल विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1994 प्रदर्श ए–11, असल वयनामा दिनांक 06.06.1995 प्रदर्श ए–12, असल वयनामा दिनांक 03.03.2003 प्रदर्श ए–13, असल वयनामा दिनांक 09.09.2014 प्रदर्श ए–14, असल रिलीजडीड दिनांक 22.07.2005 प्रदर्श ए–15, असल विनिमय पत्र दिनांक 17.11.2006 प्रदर्श ए–16, असल इकरारनामा दिनांक 31.12.2015 प्रदर्श ए–17, असल इकरारनामा दिनांक 08.01.2016 प्रदर्श ए–18, असल इकरारनामा दिनांक 05.11.2019 प्रदर्श ए–19 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में डी डब्लू 1 भूपसिंह उर्फ भूपन, डी डब्लू 2 राधेश्याम, डी डब्लू 3 रामसिंह, डी डब्लू 4 मोहनसिंह व डी डब्लू 6 गोपाल पुत्र भूपन के बयान लेखबद्ध कराये।

हमने उभय पक्ष की दिनांक 18.12.2024 को अन्तिम बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस में कथन किया कि मूलवाद प्रेमवती की ओर से पेश किया गया है। वादिनी प्रेमवती ग्यासी की पुत्री है। ये जमीन पैत्रिक है। रामपाल उर्फ रामलाल की खातेदारी की थी जो वादिनी के दादा थे। जिनके दो पुत्र किशनलाल उर्फ किशनपाल व ग्यासी पैदा हुए जिनमें ग्यासी वादिनी का पिता व किशनलाल उर्फ किशनपाल व ग्यासी पैदा हुए। जिनमें ग्यासी वादिनी का पिता व किशनलाल उर्फ किशनपाल प्रतिवादीगण का पूर्वज है। प्रति0 के पूर्वज किशनलाल ने गलत तरीके से समस्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करा लिया है। जबकि वादिनी के पिता ग्यासी का विवादित

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आराजी में 1/2 हिस्सा है। वादिनी एक मात्र वारिस है। ये दो गॉव की भूमि है। नगला फौजदार का नामा0 संख्या 166 जो प्रदर्श–3 है। ग्यासी के स्थान पर प्रेमवती के नाम दर्ज हो चुका है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर डीग का निर्णय दिनांक 30.01.2014 प्रदर्श–2, अपील नामा0 प्रेमवती के पक्ष में निर्णीत होने ग्यासी का हिस्सा मिला है। प्रति0 संख्या 1,8,9,10,11,12 ने इकबाल दावा पेश कर दिया है जोकि रिकार्ड में है। वाद में इकबाल दावा को सही नहीं मानते हुए जबाव दावा पेश किया है में अपने जबाव दावे में प्रेमवती को ग्यासी की पुत्री नहीं मानते हुए जंगलिया की पुत्री मानते है। जबकि दावे की मद संख्या 3 इन्होंने इसे किशनलाल की स्व–अर्जित सम्पत्ति माना है। लेकिन इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जंगलिया की पुत्री होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, मैने रिकार्ड पेश किया है। जमाबन्दी सम्बत 2015–18 प्रदर्श–10, जमाबन्दी सम्बत 1995 प्रदर्श–9,मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2082,बयनामा प्रदर्श–13 पेश किया है। बयनामा प्रति0 संख्या 9 रमेश ने लड्डो देवी करवाया है जिसको Null & Void की रिलीफ चाही है। मेरे पिता ग्यासी का 1/2 हिस्सा बनता है, मै ग्यासी की पुत्री हूँ व प्रथम श्रेणी की वारिस हूँ। मुझे 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इनका कहना है कि ये जमीन किशनलाल के नाम थी जो खुदकाश्त था। तहसीलदार ने नामा0 दर्ज कर दिया। जमाबन्दी सम्बत 2015 में दो भाईयों की भूमि थी किसी ने कोई खुदकाश्त के आधार पर इन्द्राज करा लिया तो उसे खातेदार अधिकार नहीं मिल सकते है। साक्ष्य वादिनी करवाई गई इनका एक गवाह है कुवरपाल ये जमीन काश्त के आधार पर नहीं विरासत के आधार पर दर्ज होगी। आर.एल.डब्ल्यू–2015 वॉल्यूम 1 पेज 85 व 446 माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर, आर.आर.टी. 2004 पेज 1080, आर.आर.डी. 2003 पेज 306 पेश किया। धारा 207 का अवलोकन करें जो Declaration की रिलीफ देगा वही कोर्ट रजि0 विक्रय पत्र को Null & Void करेगा। मेरा विवादित खसरा नम्बर 649 जो पुराने खसरा नम्बर 877 से बना है, जो हमारा है।

प्रति0विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि इनके दावे की मद संख्या 5 को देखें वादग्रस्त आराजी रामपाल की आराजी है। ऐसा कोई रिकार्ड इन्होंने पेश नहीं किया है, 70 साल पूर्व रामपाल की मृत्यु हो गई। इन्होंने दावा 2013 में किया है। इनके मुताविक रामपाल की मृत्यु 1943 में हो जाती है। 1943 में रामपाल की मृत्यु के समय पुरूष वंशजों को ही अधिकार मिलते थे। स्त्री को नहीं तो प्रेमवती को कैसे मिलते उस समय पुत्री को अधिकार नहीं होते थे। प्रेमवती रामपाल से अपना अधिकार मांग रही है, जो लागू नहीं होता है। इनका साविक रिकार्ड देखें प्रदर्श–10 में कॉलम संख्या 4 में देखें,ग्यासी का हिस्सा 1/8 बनता है। कॉलम नम्बर 5 में किशनलाल खुदकाश्त है। ग्यासी 1/2 का हिस्सेदार कैसे हो सकता है। किशनलाल यदि अन्य कृषि भूमि पर काश्त करता था तो आज भी उसी की होती जो दूसरों की थी। सम्बत 2012 का आपने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस जमाबन्दी में भी साविक खसरा नम्बर नहीं है। मैं खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल में भी नहीं है। इस जमाबन्दी में तो और भी खसरा नम्बर है। वाकी खसरा नम्बर का क्या हुआ। आपने क्या उनका खुलासा किया। उन खसरा नम्बर की डिटेल होनी चाहिए इन्होंने सन 1982 की जमाबन्दी पेश की है। आर.टी.ए. सम्बत 2012 में आया है। मुकदमा भी आपने आर.टी.एक्ट के तहत किया है, प्रदर्श–11, सन 1982 की जमाबन्दी रामपाल हिस्सा 1/4 का खातेदार था

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तो वाद में ग्यासी 1/8 का ही खातेदार बना। आपने किस दस्तावेज के आधार पर दावा किया है। ये साविक जमाबन्दी का विवरण है। आपने दावे में विक्रय पत्र को चेलेंज किया है,प्रदर्श–13, खसरा नम्बर 649 रकबा 35 ऐयर के तीन बयनामा हुए है। ये खातेदारी की जमीन थी। प्रदर्श–ए–10 प्रभू ने किया है। प्रदर्श–ए–11 रामजीलाल प्रदर्श– ए.12, रामवती, ये जाति से खाती है। हमने गंगाश्याम,भगवत वगै0 से इसे खरीदा है। पुराने लोगों ने बेचा,हमको बेचा उनको आपने पक्षकार नहीं बनाया है। फिर खसरा नम्बर 649 को आप कैसे चेलेंज कर रहे है। खसरा नम्बर 575 रकबा 11 ऐयर खसरा नम्बर 668 रकबा 28 ऐयर भगवत पुत्र किशनलाल 1/68 का खातेदार था। आपका दावा बर्ष 2013 का है ये आपके दावे से पहले 03.03.2003 का विक्रय पत्र है। भगवत प्रति0 संख्या 1 लगायत 5 के पिता थे। भूप सिंह प्रति0 संख्या 6 है। दिनांक 22.07.2005 को हुए बयनामे को चेलेंज नही किया है। दिनांक 22.07.2005 को रिलीजडीड की है। दिनांक 17.11.2006 को रौतानी ने प्रति0 संख्या 13 व 14 को एक्सचेंज डीड की है आपने एक्सचेंज डीड को कहीं भी चेलेंज नहीं किया है। एक इकरारनामा 21.11.2015 का है। इनका हमने जबाव में मेंशन किया है। इनके बारे में आपने कोई दादरसी नहीं चाही है,प्रदर्श–ए.10 से प्रदर्श–ए–19 तक है। इनको Null & Void की दादरसी नहीं चाही है। हमने दो नामा0 प्रदर्श–ए.8,नामा0 संख्या 298 में भी किशनलाल की खातेदारी मानते हुए खातेदारी मिली प्रदर्श–4, नामा0 संख्या 300 गैर मौरोसी का आर.टी.एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदारी मिली है। दिनांक 30.01.2014 को न्यायालय अति0 कलक्टर डीग का निर्णय हुआ। उसमें दो खसरा नम्बर है केवल खसरा नम्बर 295 व खसरा नम्बर 298 जोकि ऊमरा के है,प्रदर्श–ए.6, हमने उसकी अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय को की हुई है। दिनांक 01.08.2014 को इकबाल दावा पेश किया था। आदेश दिनांक 04.04.2016 को इकवाल दावे के स्थान पर जबावदेही का अवसर दिया था। प्रेमवती को जंगलिया की पुत्री बताया है, ग्यासी की पुत्री नहीं। जंगलिया बरखा गॉव में ब्याहा था। ग्यासी तो बरखा में ब्याहा नहीं था। आप प्रेमवती को ग्यासी की पुत्री बताते है तो यह सिविल कॉर्ट से Declaration करावें। आप अदालत में क्लीन–हैंण्ड से नहीं आये है। कनसील्ड ऑफ फैक्ट्स है। सारे नम्बर ही बयनामे में चले गये है। With cost खारिज फरमाया जावे। प्रति0 संख्या 6 जबाव मद संख्या 19 में इन दस्तावेजों का उल्लेख है।

वकील वादिया ने रिपीटल में कथन किया कि इन्होंने अपना ही रिकार्ड नहीं देखा प्रदर्श–ए.4 को देखें,सम्बत 2011 से 2014 की जमाबन्दी का कॉलम नम्बर 4 देखें किशनलाल का नाम काटकर रामपाल को लिखा गया है,प्रदर्श–2,अधूरी जमाबन्दी पेश की है। मैने प्रदर्श–10,11,12 पेश किये है। जिनमें रामपाल का है इन्होने पूरा दावा नहीं पढा। मेरा दावा सहकाश्तकारी का नहीं है। मैने मेरे पिता की जमीन पर दावा पेश किया है। 30 साल पहले मेरा बाप मर गया है, मेरे बाप की जमीन है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 ही तो लागू होता है। क्या उत्तराधिकार अधिनियम यहां लागू नहीं होगा? जबकि किशनलाल और ग्यासी दो सगे भाई थे तो किशनलाल के खुदकाश्त दर्ज करवाने से ग्यासी के अधिकार खत्म नहीं होते है। खसरा नम्बर 310, 311,312 का रिकार्ड पेश नहीं किया है। मैने 1982 की जमाबन्दी, जमाबन्दी सम्बत 2015 की जमाबन्दी पेश की है। खसरा नम्बर 873 रकबा 43 वीघा का है,प्रदर्श–ए–10, ए–11, ए–12 को देखें एक ही खसरा नम्बर 649 के चार बयनामे है। ये पुराने खसरा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 877 से बना है और ये पुराना खसरा नम्बर 877 से बना है और ये पुराना खसरा नम्बर 877 रामपाल के नाम दर्ज है। सम्बत 1982 की जमाबन्दी देखें। ये खसरा नम्बर आपने खातियों से क्रय किये है,प्रदर्श ए–13 व ए–14,ए–15,ए–16 के दस्तावेज है जो प्रतिवादियों ने आपस में करवाये है। इससे वादीगण के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है,प्रदर्श–ए 17 व ए–18 व ए–19 ये भी प्रतिवादीगण के बीच में निष्पादित है। पूरे केस में जंगलिया की लडकी है। मौखिक कह देने से क्या वह जंगलिया की लडकी बन जायेगी। जबाव दावा प्रति0 संख्या 1,8,9,10,11,12 की ओर से आया है और सबके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। आपके जवाव में इन दस्तावेजों का कोई उल्लेख है। आर.टी.एक्ट की धारा 15 के तहत तहसीलदार को खातेदारी अधिकार देने का अधिकार नहीं है। केवल सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी को ही है। मैं रूलिंग पेश कर रहा दूंगा।

हमने वादिया के वादपत्र,प्रति0 संख्या 8 व 9 के इकबाल दावे, प्रति0 संख्या 1,8,10,11,12 के इकबाल दावे,प्रति0 संख्या 6 के जबाव दावे,प्रति0 संख्या 1,8,9,10,11,12 के जबाव दावे,मौखिक साक्ष्य में PW-1 विशनसिंह PW-2 कुमरपाल DW-1 भूपसिंह उर्फ भूपन, DW-2 राधेश्याम, DW-3 रामसिंह, DW-4 मोहन सिंह, DW-5 गोपाल,वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित साक्ष्य जमाबन्दी सम्बत 2071–2074 खसरा नम्बर 296 रकबा 0.46 जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 प्रति0 संख्या 8 लगायत 12 के पिता ठाकुरलाल,प्रति0 संख्या 7 हिस्सा 1/3 प्रति0 संख्या 1लगायत 5 के पिता भगवत हिस्सा 1/3 वादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 की मॉ प्रेमवती हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। न्यायालय अति0 कलक्टर डीग मु0नम्बर 47/12,अपील विरूद्व नामा0 संख्या 166 खसरा नम्बर 296 रकबा 0.46 का हिस्सा 1/3 ग्राम नगला फौजदार प्रेमवती को ग्यासी पुत्री के रूप में हिस्सा 1/3 स्वीकार हुआ है प्रदर्श–2,नकल नामा0 संख्या 166 जिसमें ग्यासी पुत्र रामलाल की मृत्यु पर भरी हुई विरासत में प्रेमवती को ग्यासी की पुत्री के रूप में स्वीकार करते हुए तहसीलदार डीग द्वारा तस्दीक किया हुआ है प्रदर्श–3,जमाबन्दी सम्बत 2068–2071,खसरा नम्बर 649,1082, 1083, 1084, प्रदर्श–4,जमाबन्दी सम्बत 2068 से 2071,खसरा नम्बर 566, 589, 667, 670/1771, 432, 560, 561, 565, 567, प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्बत 2068–2071 खसरा नम्बर 569, 572,587, 669, 568, 570, 571, 576, 650,जमाबन्दी सम्बत 2068–2071 खसरा नम्बर 469, 470, 475, 481, 575, 668, 1253 प्रदर्श–7,जमाबन्दी सम्बत 2067 से 2070 खसरा नम्बर 296, 295 प्रदर्श–8, भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 प्रदर्श–9,जमाबन्दी सम्बत 2015 से 2018 में वादपत्र के साविक खसरा नम्बर भूमिधारी कॉलम संख्या 4 में किशनलाल ग्यासी पिस0रामपाल बाहिस्सा बरावर चौथाई कॉलम नम्बर 5 में खुदकाश्त किशनलाल हिस्सेदार दर्ज है,प्रदर्श–10,जमाबन्दी सम्बत 1982 रामपाल वल्द भूडा खाता संख्या 37 में दर्ज है प्रदर्श–11,जमाबन्दी सम्बत 1982 खाता संख्या 38 में खुदकाश्त रामपाल दर्ज है,प्रदर्श–12,नकल बयनामा दिनांक 31.07.2006 रमेशचन्द पुत्र गंगाश्याम के द्वारा लूडा पत्नी गोरधन सिंह को अपना हिस्सा 1/6 विक्रय पत्र किये गये है प्रदर्श–13, सरपंच ग्राम पंचायत अऊ पंचायत समिति डीग द्वारा दिनांक 25.09.2006 को जारी सजरा प्रमाण पत्र जिसमें प्रमवती को ग्यासी की पुत्री व वारिस वताया गया है। प्रदर्श–14 प्रति0 द्वारा प्रस्तुत लिखित साक्ष्य जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 खसरा नम्बर 456, 462, 1066,1121, 649 प्रदर्श–ए–1, जमाबन्दी सम्बत 2011 से 2014 जिसके खाता संख्या 264

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

के कॉलम संख्या 4 में भूमिधारी रामलाल दर्ज है। कॉलम नम्बर 5 में खुदकाश्त दर्ज किशनलाल दर्ज है। खसरा नम्बर 310, 311, 331, 333 प्रदर्श– ए–2, जमाबन्दी सम्बत 2011 से 2014 जिसके खाता संख्या 272, 206, 277, 278 के कॉलम नम्बर 4 में भूमिधारी रामलाल दर्ज है,प्रदर्श–3,जमाबन्दी सम्बत 2011 से 2014 के खाता संख्या 33,34,35 के कॉलम 4 में भूमिधारी के रूप में रामलाल दर्ज है तथा कॉलम नम्बर 5 में खुदकाश्त किशन दर्ज है प्रदर्श ए–4, भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 प्रदर्श–ए.5, नकल न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त भरतपुर अपील संख्या 23/14 भूपन बनाम प्रमवती विरूद्व निर्णय दिनांक 30.01.2014,न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर डीग अपील संख्या 47/12 प्रदर्श– ए–6, नकल आदेशिका न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय दिनांक 16.12.2016 प्रदर्श–ए–7,जमाबन्दी सम्बत 2016 से 2019 में नामा0 संख्या 298 के कॉलम नम्बर 5 कृषक के नाम में खुदकाश्त किशनलाल दर्ज है प्रदर्श–ए–8,जमाबन्दी सम्बत 2016 से 2019 में संलग्न नामा0 संख्या 300 के कॉलम नम्बर 5 में किशनलाल वल्द रामपाल गैर खातेदार दर्ज है। जिसके कॉलम नम्बर 11 में उसे खातेदारी देते हुए खातेदार दर्ज किया गया है। खसरा नम्बर 798 प्रदर्श–ए–9, असल रजिस्टर्ड बयनामा खसरा नम्बर 649 रकबा 0.35 दिनांक 04.07.1994 प्रभू,रामस्वरूप द्वारा गंगाश्याम,भगवत पुत्रगण किशनपाल के हक में प्रदर्श–ए–10, असल बयनामा खसरा नम्बर 649 रकबा 0.35 रामजीलाल द्वारा अपना हिस्सा 1/4 गंगाश्याम,भगवत पुत्रगण किशनपाल के पक्ष में किया गया प्रदर्श–ए–11,असल बयनामा खसरा नम्बर 649/0.35 रामवती वेवा जगन्नाथ,सुजान,श्याम,देवी पुत्रगण जगन्नाथ द्वारा 06.06.1995 को निष्पादित गंगाश्याम,भगवत पुत्रगण किशनलाल के पक्ष में प्रदर्श–ए–12,असल रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 03.03.2003 खसरा नम्बर 575/0.11,668/0.28 का भगवत पुत्र किशनपाल द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा भूपसिंह पुत्र गंगाश्याम को विक्रय किया है प्रदर्श–ए–13, असल रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.09.2004 खसरा नम्बर 575/0.11, 668/0.28, रमेशचन्द द्वारा अपना हिस्सा 1/6 भूपन उर्फ भूपसिंह पुत्र गंगाश्याम को विक्रय किया है प्रदर्श–ए–14,असल रजिस्टर्ड रिलीजडीड खसरा नम्बरान 469/0.24, 470/0.19, 475/0.22, 481/0.17, 1253/0.83 किता–5, रकबा 1.65 हैक्टेयर में अपना 1/6 हिस्सा रमेशचन्द पुत्र गंगाश्याम ने अपने सगे भाई भूपन उर्फ भूपसिंह को हकत्याग किया है। दिनांक 22.07.2005 को निष्पादित प्रदर्श–ए–15,रजिस्टर्ड विनिमय पत्र दिनांक 17.11.2006,रौतानी बनाम लुड्डो प्रदर्श–ए–16 अनरजिस्टर्ड इकरारनामा रमेश पुत्र गंगाश्याम व भूपन पुत्र गंगाश्याम के मध्य निष्पादित दिनांक 31.12.2015 प्रदर्श–ए–17, अनरजिस्टर्ड इकरारनामा निष्पादित दिनांक 08.01.2016 द्रोपती पत्नी ठाकुरलाल,राजकुमारी, पिंकी पुत्रियान ठाकुरलाल एवं भूपन उर्फ भूपसिंह के मध्य निष्पादित प्रदर्श–ए–18, अनरजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांक 05.11.2019 रमेश पुत्र गंगाश्याम एवं रौतानी पत्नी भूपसिंह के मध्य निष्पादित प्रदर्श–ए–19 का अवलोकन एवं वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया।

प्रकरण में तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः–

<u>तनकी संख्याः–1,</u> आया वादिया विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है?

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादिया पर है। वादिया ने हाल खसरा नम्बर 649/0.35,1082/0.17, 1083/0.19, 1084/0.14, 566/0.37, 589/0.30, 667/0.32, 670/1771/0.39, 432/0.42, 560/0.29, 561/0.24, 565/0.32, 567/0.24, 569/0.17, 572/0.17,587/0.34, 669/0.09, 568/0.24, 570/0.27, 571/0.19, 576/0.02, 650/0.13, 469/0.24, 470/0.19, 475/0.22, 481/0.17, 575/0.11, 668/0.28, व 1253/0.83 वाके ग्राम ऊमरा तथा खसरा नम्बर 295/0.25, 296/0.46 वाके ग्राम नगला फौजदार तहसील डीग की नकल जमाबन्दी सम्बत 2068 लगायत 2071 ऊमरा तथा नकल जमाबन्दी सम्बत 2067 लगायत 2070 नगला फौजदार जो प्रदर्श—4, प्रदर्श—5, प्रदर्श—6,प्रदर्श—7, प्रदर्श—8, है।

जमाबन्दी सम्बत 2071—2074 ग्राम नगला फौजदार खसरा नम्बर 296 प्रदर्श—1 है। वादिया ने वादपत्र की मद संख्या 3 में परिवार का सजरा पेश किया है जिसमें अपने आपको पूर्वज रामपाल उर्फ रामलाल पुत्र भूडा का वारिसान बताया है। रामपाल के दो पुत्र हुए (1) किशनलाल उर्फ किशनपाल(फॉत) (2)ग्यासी(फॉत) वादिया ग्यासी की पुत्री है। किशनलाल के दो पुत्र हुए (1)भगवत(फॉत) हो गया है। प्रति0 1 लगायत 5 उसके वारिसान है।(2)गंगाश्याम(फॉत) हो गया है। प्रति0 संख्या 6 लगायत 12 उसके वारिसान है। वादग्रस्त आराजी पैत्रिक आराजी थी जिसके साविक खसरा नम्बर प्रदर्श—9 के अनुसार वादपत्र की मद संख्या 4 में वर्णित है। साविक खसरा नम्बर 877/43 वीघा 3 विस्वा, 364 मिन/3वीघा 18 विस्वा, 876/2वीघा 3 विस्वा, 963 मिन/2वीघा 15 विस्वा,782/2वीघा 17 विस्वा, 878/1वीघा 17 विस्वा, 874/1 वीघा 9 विस्वा, 884 मिन, 813/2वीघा 1 विस्वा, 798/11विस्वा, 799/1वीघा 4 विस्वा, 812/1वीघा 9विस्वा, 311/1वीघा 9 विस्वा, 310/3 वीघा है।

जमाबन्दी सम्बत 1982 जोकि प्रदर्श—11, प्रदर्श—11—ए, प्रदर्श—12 है। उक्त आराजी पैत्रिक थी और उसके बाबा रामपाल वल्द भूडा के नाम दर्ज थी प्रदर्श—10,जमाबन्दी सम्बत 2015 से 2018 वाके ग्राम ऊमरा के कॉलम नम्बर 4 में किशनपाल व ग्यासी पिस0 रामपाल वाहिस्सा बरावर चौथाई दर्ज है। कॉलम नम्बर 5 में खाता संख्या 41 में खुदकाश्त किशनपाल हिस्सेदार दर्ज है। खाता संख्या 42में खुदकाश्त किशनलाल व ग्यासी वाहिस्सा बरावर हिस्सेदार दर्ज है। साविक खसरा नम्बर जो प्रदर्श—11—ए व प्रदर्श—12 में 877 रकबा 43वीघा 3 विस्वा,782 रकबा 2 वीघा 17 विस्वा,799 रकबा 1वीघा 14विस्वा, 812 रकबा 1 वीघा 9 विस्वा, 813 रकबा 2 वीघा 1विस्वा, 874 रकबा 1वीघा 9 विस्वा, 878 रकबा 1वीघा 17 विस्वा, 876 रकबा 2 वीघा 3विस्वा जो रामपाल के नाम जमाबन्दी सम्बत 1982 में दर्ज है उन्हें खसरा नम्बरान पर प्रदर्श—10के कॉलम नम्बर 5में किशनपाल को खुदकाश्त दर्ज किया गया है,प्रदर्श—3,नामा0 संख्या 166 की प्रमाणित नकल है जोकि तहसीलदार डीग द्वारा दिनांक 03.09.2012 को तस्दीक किया गया है जोकि खसरा नम्बर 296 रकबा 0.46 का है जिसमें वादिया को ग्यासी की पुत्री एवं वारिसान स्वीकार करते हुए वादिया को ग्यासी पुत्र रामपाल के वारिस के रूप में कॉलम नम्बर 9 में 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

गया है,प्रदर्श—2 न्यायालय अति0 कलक्टर डीग का अपील संख्या 47/12, निर्णय दिनांक 30.01.2014 है जोकि नामा0 संख्या 166 निर्णय दिनांक 03.09.2012 के विरूद्व की गई थी जिसे न्यायालय द्वारा नामा0 को विधि सम्मत मानते हुए अपील खारिज करदी,प्रदर्श—13,रमेशचन्द पुत्र गंगाश्याम के द्वारा प्रति0 संख्या 14 लूडो को वादग्रस्त आराजी से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 दिनांक 31.07.2006 को जरिये विक्रय पत्र अन्तरित किया गया है,प्रदर्श—14 सरपंच ग्राम पंचायत अऊ का ग्यासी के सजरा प्रमाण पत्र की प्रति है। जिसमें वादिनी प्रेमवती को ग्यासी की पुत्री व वारिस बताया गया है।

जबकि प्रति0 द्वारा पत्रावली में उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों में प्रदर्श—ए—10 प्रभू, रामस्वरूप द्वारा खसरा नम्बर 649 रकबा 0.35 वाके ग्राम ऊमरा का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.07.1994 को गंगाश्याम,भगवत पुत्रगण किशनलाल जोकि प्रति0 संख्या 1 लगायत 5 व 6 लगायत 12 के पूर्वज है निश्पादित है प्रदर्श—ए—11 रामजीलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1994 को गंगाश्याम व भगवत को विक्रय किया गया है प्रदर्श—ए—13 भगवत पुत्र किशनलाल के द्वारा खसरा नम्बर 575/0.11, 668/0.28 किता—2 रकबा 0.39 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 दिनांक 03.03.2003 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूप सिंह पुत्र गंगाश्याम को विक्रय किया है प्रदर्श—ए—14 रमेशचन्द पुत्र गंगाश्याम के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2004 को खसरा नम्बर 575/0.11, 668/0.28 वाके ग्राम ऊमरा में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 भूपसिंह पुत्र गंगाश्याम को विक्रय किया गया है प्रदर्श—15 रिलीजडीड है जोकि रमेशचन्द पुत्र गंगाश्याम ने अपने हिस्से 1/6 अपने आई भूपन उर्फ भूपसिंह के पक्ष में दिनांक 22.07.2005 को निष्पादित की है प्रदर्श—ए—16 विनिमय पत्र है जो रॉतानी बनाम लुडडो ने दिनांक 17.11.2006 को निष्पादित किया है प्रदर्श—17,रमेश पुत्र गंगाश्याम और भूपन उर्फ भूपसिंह के मध्य अनरजिस्टर्ड इकरारनामा है प्रदर्श—ए—18 द्रॉपती पत्नी ठाकुरलाल राजकुमारी, पिंकी पुत्री ठाकुरलाल और भूपन उर्फ भूपसिंह के मध्य अनरजिस्टर्ड इकरारनामा है प्रदर्श—ए—19 रमेश पुत्र गंगाश्याम और रालनी के मध्य निष्पादित अनरजिस्टर्ड इकरारनामा है। प्रदर्श—ए—10 से प्रदर्श—ए—19 तक के दस्तावेज हाल खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज प्रति0 के आपस में भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में है प्रदर्श—ए—1 वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बरों की सम्बत 2072 से 2075 की जमाबन्दियां है प्रदर्श—ए—6 न्यायालय माननीय संभागीय आयुक्त में अति0 कलक्टर डीग के अपील संख्या 47/12 निर्णय दिनांक 30.01.2014 के विरूद्व दायर की प्रमाणित प्रति है प्रदर्श—ए—7 न्यायालय संभागीय आयुक्त की दिनांक 16.12.2016 की अपील संख्या 23/14 की प्रमाणित प्रति है प्रदर्श—ए—5 भू—प्रबंध मिलान क्षेत्रफल व सम्वत 2040की प्रमाणित नकल है प्रदर्श—ए—2 प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्बत 2011 से 2014 खाता संख्या 264 जिसके कॉलम नम्बर 4 में रामपाल एवं कॉलम नम्बर 5 में खुदकाश्त किशनलाल दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

साविक खसरा नम्बर 310, 311, 331, 333 प्रदर्श–ए–3 प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्बत 2011 से 2014 के खाता संख्या 33 के कॉलम नम्बर 4 में रामपाल दर्ज है। कॉलम नम्बर 5 में रामपाल हिस्सा पर किशनलाल खुदकाश्त दर्ज है। प्रदर्श–ए–4 प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्बत 2011 से 2014 के खाता संख्या 33 के कॉलम नम्बर 4 में रामपाल दर्ज है। कॉलम नम्बर 5 में खुदकाश्त किशनलाल दर्ज है। प्रदर्श–ए–8 नामा0 संख्या 298 की प्रमाणित नकल है जोकि जमाबन्दी सम्बत 2016 से 2019 में जिसमें खुदकाश्त किशनलाल को कॉलम नम्बर 11 में खातेदार दर्ज किया गया है। कॉलम नम्बर 14 के अनुसार यह खातेदारी का नामा0 है जोकि पटवारी हल्का द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत दर्ज किया गया है जिसकी पुस्त पर अंकित आदेश तहसीलदार द्वारा किता–22 रकबा 48 वीघा 15 विस्वा पर खातेदारी दी गई है। प्रदर्श–ए–9 नामा0 संख्या 300 की प्रमाणित नकल है जोकि जमाबन्दी सम्बत 2016 से 2019 में संलग्न है जिसमें किशनलाल को खसरा नम्बर 698 पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया है। आर. टी.एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदारी दी गई है।

वादिया एवं प्रति0 के पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा वादिया पैत्रिक आराजी के विरासत के आधार पर हक को लेकर है। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–11,11–ए,12 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादिया के पूर्वज रामपाल के नाम जमाबन्दी सम्बत 1982 में दर्ज थी जो प्रदर्श–10 अनुसार रामपाल के बाद किशनलाल व ग्यासी पिस0 रामपाल के नाम दर्ज हुई। इससे स्पष्ट है कि रामपाल के दो वारिसान किशनपाल व ग्यासी थे। तत्समय जो भाई कर्ताखानदान हुआ करते थे उन्हें खुदकाश्त दर्ज कर दिया जाता था। प्रति0 द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–ए2, ए–4 में किशनलाल कॉलम नम्बर 5 में खुदकाश्त दर्ज था जिसके आधार पर नामा0 संख्या 298 प्रदर्श–ए–8, नामा0 संख्या 300 प्रदर्श–ए–9 के द्वारा खुदकाश्त प्रबिष्टि के आधार पर पटवारी,गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा किशनपाल को खातेदार दर्ज किया गया। जबकि यह आराजी पैत्रिक थी। गोविन्दराम बनाम रामप्रताप आर.आर.डी. 2003 पेज 306, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सैक्सन 15–एएए में अभिनिर्धारित किया गया है कि "Tehsildar has no Jurisdiction to decide the Application For Conferment of Khatedari right V/s 15AAA, RRD 1984 Page 42 Deviram V/s Babu Singh DB Bench Decided बिन्दु संख्या 7, Khewat Jamabandis Samvat 2010-13 Show the entry of the resspodents as co-share of the disputed land but kundasht is not recorded in the name of the respodents in colum n. 5 meant for cultivatory possession in this connection 1968 RRD page 146c which has also been cited by the learned revenue Appellate Authority in his impugned order AIR 1966 Supreme court 1971, 1974 and 1981 AIR. supreme court page 77 clearly support and cofirm the principle that the actual possession of one or more Co-shares in the land does not operate against the constructive

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

possession of other co-shares thus the co-shares in possession do not obtain title against other co- shares not in possession be sides sub-section {2} of section 29 of the Rajasthan zamindari Biswedari Abolition Act 1959 it self provides that if there are more persons that one having interest in land held as khudkasht immediately be fore the date of vesting all such persons shall be deemed to be co-maliks. Thus the occupation of one cotenant must be deemed to be on be half of other cotenants."

यह नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होती है, जमाबन्दी सम्बत 2015–2018में रामपाल की पैत्रिक आराजी पर किशनपाल और ग्यासी दोनों ही समान अधिकार रखते थे। दोनों ही खुदकाश्त दर्ज किये जाने चाहिए थे लेकिन दर्ज नहीं किये जाने से ग्यासी के अधिकार राजस्थान जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा(2)सह मालिक समझे जाऐंगे। नामा0 संख्या 298 एवं 300 जोकि प्रदर्श–ए–8 व ए–9 है। तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से वाहर जाकर आर.टी.एक्ट की धारा 19 के तहत किशनपाल को खातेदारी अधिकार खुदकाश्त के आधार पर दिये गये है जोकि अपास्त योग्य है।

तृतीय अनुसूची में आर.टी.एक्ट की धारा 15 व धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार देने के लिए सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी है तहसीलदार नहीं है। RRT 2004{2}Mohanlal V/s State of Rajasthan page 1080-1081 पैरा 8,9 में तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान करने का आदेश अपास्त किया मामला सहायक कलक्टर को प्रेषित किये। तनकी संख्या 1 विरूद्व प्रति0 वादिया के पक्ष में निर्णीत की जाती है। वादिया वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा पर ग्यासी की वारिसान होने के कारण दर्ज किये जाने की अधिकारिनी है। 1/2 हिस्से पर प्रति0 खातेदार काश्तकार रहेंगे। प्रति0 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड मूल दस्तावेज वादिया के हिस्से की सीमा तक अकृत एवं शून्य रहेंगे।

<u>तनकी संख्याः–2,</u> आया विवादित आराजी में से दिनांक 31.07.2006 को निष्पादित बयनामा बिल मुकावले वादिया विवादित आराजी के हिस्सा 1/12 की हद तक शून्य व प्रभावहीन है?

चूँकि तनकी संख्या 1 वादिया के पक्ष में निर्णीत की गई है। वादिया को विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र की खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। प्रति0 को 1/2 हिस्से का खातेदार माना है। ऐसी स्थिति में प्रति0 संख्या 7 ने जो बयनामा प्रति0 संख्या 14 के पक्ष में दिनांक 31.07.2006 को पंजीबद्व कराया है वह उसने अपने हिस्से से अधिक आराजी का बयनामा होने के कारण बैध नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए प्रति0 संख्या 14 के पक्ष में बयनामा दिनांक 31.07.2006 को वादिया के हिस्से की सीमा तक शून्य घोषित किया जाता है।

RLW 2015{1}{R}page 446 Moduram V/s Bourd of Revenue & Others में अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 सपठित धारा 88,188,53,83 एवं 242 उत्तराधिकार

उपखण्ड अधिकारी
सीम (सीमा) राज.

के आधार पर घोषणा,विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा वाद न्यायालयों की अधिकारिता क्या राजस्व न्यायालय या दीवानी न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि जब दावा किया गया अनुतोष काश्तकारी अधिकारों की घोषणा और विभाजन से सम्बन्धित हो तो राजस्व न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान किया जा सकता है,विक्रय विलेख का निरस्तीकरण केवल आनुशंगिक मात्र है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 भी वादिया के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः–3,</u> आया वादिया विवादित आराजी बावत प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद करा पाने के अधिकारी है?

तनकी संख्या 1 वादिया के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। विवेचना में वादिया को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार इसी प्रकार प्रति0 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार माना गया है। ऐसी स्थिति में वादिया वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर विरूद्व प्रति0 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रति0 वादिया के 1/2 हिस्से की कब्जे काश्त में हस्तक्षेप ना करें और मजाहमत मदाखलत ना करें। तनकी संख्या 3 वादिया के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः–4,</u> आया वादपत्र वादिया द्वारा मियाद बाहर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है?

वादिया का प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में धारा 88,89 के वाद पेश किये जाने की कोई परिसीमा अवधिनिर्धारित नहीं की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत घोषणात्मक वाद कभी भी पेश किया जा सकता है। इसलिए तनकी संख्या 4 विरूद्व प्रति0 निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः–5,</u> दादरसी?

उभय पक्षकार अपना अपना वादपत्र का खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

तनकी संख्या 1,2,3,4 विरूद्व प्रतिवादीगण, वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नंबरान स्थित ग्राम ऊमरा तहसील डीग के ख0 नं0 649/0.35, 1082/0.17, 1083/0.19, 1084/0.14, 566/0.37, 589/0.30, 667/0.32, 670/1771/0.39, 432/0.42, 560/0.29, 561/0.24, 565/0.32, 567/0.24, 569/0.17, 572/0. 17, 587/0.34, 669/0.09, 568/0.24, 570/0.27, 571/0.19, 576/0.02, 650/0.13, 469/0.24, 470/0.19, 475/0.22, 481/0.17, 575/0.11, 668/0.28, 1253/0.83 एवं आराजी स्थित ग्राम नगला फौजदार तहसील डीग के ख0 नं0 295/0.25 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इंद्राजात में से हिस्सा 1/2 में वादीगण संख्या 1/1

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 1/6 हिस्सा 1/8 के वाहिस्सा बराबर एवं वादी सं0 2 व 3 हिस्सा 1/4 के वाहिस्सा बराबर व वादी सं0 4 लगायत 6 हिस्सा 1/8 के वाहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किये जाते हैं तथा प्रतिवादनी सं0 7 द्वारा प्रतिवादनी संख्या 14 के पक्ष में निष्पादित वयनामा दिनांकित 31.07.2006 को वादीगण के हिस्से की सीमा तक शून्य घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी के कब्जे काश्त वादीगण में हस्तक्षेप ना करें। बैंक रहन इंद्राज यथावत रहेंगे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग (राज.)